न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–94 / 2014–15

श्री सहेन्द्र सिंह आदि

–बनाम–

कलेक्टर, हरिद्वार आदि

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री सुबोध कुमार शर्मा।

बावत

मौजा गदरजुड्डा, परगना मंगलौर,
तहसील रूड़की, जनपद हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान कलक्टर, हरिद्वार द्वारा वाद संख्या–11 वर्ष 2013–14 अन्तर्गत धारा–157क जमींदारी विनाश अधिनियम सहेन्द्र सिंह बनाम सीताराम में पारित आदेश दिनांक 04–09–2014 एवं 28–01–2013 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिउत्तरदाता श्री सीताराम ने वादग्रस्त भूमि को कृषि यन्त्र कय करने एवं पारिवारिक खर्च हेतु श्रीमती सीमा टन्डन को विकय करने की अनुमति हेतु कलक्टर, हरिद्वार को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। कलक्टर, हरिद्वार ने अपने आदेश–प्रा0पत्र सं0–1107 / 167 / जि0भू0व्यव0 / 2013, दिनांक 28–01–2013 से भूमि विकय की अनुमति इस शर्त सहित प्रदान की गई कि यदि अनुमति का प्रयोग 06 माह तक नहीं किया जाता है तो उक्त अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी। कलक्टर की अनुमति के कम में प्रतिउत्तरदाता सीताराम ने दिनांक 31–01–2013 को विकय पत्र सम्पादि कराया। कलक्टर, हरिद्वार द्वारा प्रतिउत्तरदाता सीताराम को दी गई अनुमति दिनांक 28–01–2013 को निरस्त कराने हेतु निगरानीकर्ता ने कलक्टर, हरिद्वार के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र / वाद प्रस्तुत किया। विद्वान कलक्टर, हरिद्वार ने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुनने के उपरान्त इस विवेचना सहित कि अनुमति दिनांक 28–01–2013 के अनुपालन में पक्षों के मध्य विकय पत्र निष्पादित हो चुका है इस कारण अनुमति दिनांक 28–01–2013 निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा निगरानीकर्ता सहेन्द्र का प्रार्थना पत्र दिनांक 22–07–2013 निर्णयादेश दिनांक 04–09–2014 से निरस्त किया गया। कलक्टर, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–01–2013 एवं निर्णयादेश दिनांक 04–09–2014 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली में रक्षित अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्तागण वादग्रस्त भूमि के मालिक व संकमणीय भूमिधर हैं। निगरानीकर्तागण के बाबा कल्लू पुत्र छज्जू थे जिन्होंने अपनी भूमि खाता संख्या–87 के खसरा नम्बर–873 रकबा 1.4088 है0 में अपने 1 / 2 भाग 0.7044 है0 की वसीयत निगरानीकर्तागण के हक में दिनांक 11–03–2011 को पंजीकृत कराई

थी जो उप निबन्धक, रूड़की के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत एवं दर्ज है। निगरानीकर्तागण के बाबा कल्लू का देहान्त दिनांक 08–08–2012 को हो गया और वसीयत के आधार पर प्रश्नगत भूमि के मालिक निगरानीकर्तागण हो गये। निगरानीकर्तागण के बाबा कल्लू से एक पंजीकृत मुख्तारनामा दिनांक 23–11–2009 को श्री सुखवीर सिंह ने धोखे से अपने नाम करा लिया तथा उक्त मुख्तारनामे के आधार पर प्रश्नगत भूमि का बैनामा दिनांक 03–01–2011 को सीताराम पुत्र नन्दू को विक्रय कर दी। उक्त अवैधानिक मुख्तारनामा व विक्रय पत्र की जानकारी होने पर कल्लू ने उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद संख्या–8/11 सिविल जज, सी0डी0, रूड़की के न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा उक्त विक्रय पत्र दिनांक 03–01–2011 जो मुख्तारनामा दिनांक 23–11–2009 के आधार पर किया गया था को निरस्त कराने की प्रार्थना की। मुकदमे के दौरान कल्लू का देहान्त हो गया तथा उक्त वाद में कल्लू के स्थान पर निगरानीकर्तागण को प्रतिस्थापित किया गया और उक्त वाद लम्बित है। उक्त वाद की जानकारी प्रतिउत्तरदाता सीताराम को दिनांक 31–01–2011 से ही है परन्तु उसने कलक्टर, हरिद्वार के न्यायालय में उक्त भूमि को श्रीमती सीमा टण्डन को विक्रय की अनुमति दिनांक 28–01–2013 को प्राप्त कर ली और विक्रय पत्र सम्पादित करा दिया। निगरानीकर्तागण को जब आदेश दिनांक 28–01–2013 की जानकारी हुई तो उन्होंने उक्त अनुमति आदेश को निरस्त करने हेतु कलक्टर, हरिद्वार के समक्ष आपत्ति दिनांक 22–07–2013 को प्रस्तुत किया और समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये परन्तु कलक्टर, हरिद्वार ने त्रुटिपूर्ण ढंग से निगरानीकर्तागण का प्रार्थना पत्र/आपत्ति दिनांक 22–07–2013 को अपने आदेश दिनांक 04–09–2014 से निरस्त कर दिया। निगरानी स्वीकार होने योग्य है और अवर न्यायालय के आदेश निरस्त होने योग्य हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता का तर्क है कि निगरानीकर्तागण का अवर न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 22–07–2013 बिना किसी हित व अधिकार के प्रस्तुत किया गया। निगरानीकर्तागण का प्रश्नगत सम्पत्ति में न तो कोई हित निहित है और न ही वह सहखातेदार हैं। जिस अनुमति दिनांक 28–01–2013 को निरस्त कराने हेतु निगरानीकर्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वह कालबाधित था क्योंकि कलक्टर से प्राप्त अनुमति के अनुपालन में प्रतिउत्तरदाता ने श्रीमती सीमा टन्डन के पक्ष में दिनांक 31–01–2013 को विक्रय पत्र निष्पादित करवा दिया था। निगरानीकर्तागण के पिता द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 03–01–2011 को निरस्त कराने हेतु सिविल जज, रूड़की के न्यायालय में वाद योजित किया गया जो अभी विचाराधीन है इस कारण निगरानी पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रतिउत्तरदाता सीताराम ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कलक्टर, हरिद्वार से भूमि विक्रय हेतु अनुमति दिनांक 28–01–2013 को प्राप्त की जिसके क्रम में उनके द्वारा विक्रय पत्र श्रीमती सीमा टन्डन के पक्ष दिनांक 31–01–2013 को निष्पादित कराया गया। कलक्टर, हरिद्वार द्वारा प्रतिउत्तरदाता सीताराम को दी गई अनुमति दिनांक 28–01–2013 को निरस्त कराने हेतु निगरानीकर्तागण ने कलक्टर के समक्ष अपनी आपत्ति/प्रार्थना पत्र दिनांक 22–07–2013 को प्रस्तुत किया जिसे कलक्टर हरिद्वार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 04–09–2014 से निरस्त कर दिया। निगरानीकर्ता ने स्वंय अपने कथनों में यह तर्क दिया है कि निगरानीकर्तागण के पिता से प्राप्त मुख्तारनामे के आधार पर जो विक्रय पत्र प्रतिउत्तरदाता के पक्ष में दिनांक 03–01–2011 को पंजीकृत व निष्पादित हुआ उसको निरस्त कराने हेतु निगरानीकर्तागण के पिता द्वारा सिविल जज, रूड़की के न्यायालय में वाद योजित किया गया था जो अभी गतिमान है। अतः ऐसी स्थिति में जब प्रतिउत्तरदाता के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के निरस्तीकरण हेतु सिविल जज, सी0डी0, रूड़की के न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इस तथ्य को विद्वान कलक्टर, हरिद्वार ने भी अपने

निर्णयादेश दिनांक 04–09–2014 में भी उल्लेख किया है। चूँकि कलक्टर द्वारा प्रदान की गई भूमि विक्रय की अनुमति के पश्चात सीताराम द्वारा दिनांक 31–01–2013 को बैनामा के द्वारा भूमि विक्रय कर दी गई है और बैनामा को निरस्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है ऐसी स्थिति में कलक्टर द्वारा प्रदत्त अनुमति को निरस्त करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः निगरानी पोषणीय नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलयुक्त न होने के कारण निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 10/7/17 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।